न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ, चित्रकूट।

परिवाद संख्या (वारण्ट/सम्मन केस) – 176/2020

CNR. NO, UPCH120004902020

भोलानाथ आदि बनाम **रामजस आदि**

21.01.2021

पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। पूर्व तिथि दिनांक 20.01.2021 को परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राम अभिलाष द्विवेदी एडवोकेट की तलबी के बिन्दु पर विद्वतापूर्ण व तार्किक बहस को सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

यह परिवाद परिवादी भोला नाथ व उमानाथ द्वारा विपक्षी रामजस, नीलू, दिलीप व रामसहाय के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 में पारित न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.08.2020 से संस्थित किया गया है। परिवादी पक्ष का कथन संक्षिप्तया यह है कि ग्राम टिकरा के अन्तर्गत स्थित उनकी आराजी संख्या 58 व 76 का सीमांकन उनके द्वारा कराया जा चुका है तथा सीमांकन के पश्चात पत्थरगढ़ी भी की जा चुकी है। इसके बाद विपक्षीगण द्वारा पत्थरगढ़ी के पत्थरों को जबरदस्ती उखाड़कर फेंक दिया गया तथा मेड़ को जोत डाला गया तथा परिवादी के रकबे में धान की रोपाई करवा ली है। विपक्षीगण दबंग किस्म के व्यक्ति है। जिनके विरूद्ध पुलिस व प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा रही है।

परिवादी की ओर से अन्तर्गत धारा– 200 द0प्र0सं0 के तहत परिवादी भोलानाथ को, अन्तर्गत धारा–202 द0प्र0सं0 के तहत साक्षी पी0डब्लू–1 लोकनाथ व पी0डब्लू–2 बैरागीलाल को परीक्षित कराया गया है।

परिवादी भोलानाथ द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. में बताया गया है कि उनके द्वारा अपनी आराजी संख्या 76 व 58 की हदबन्दी उपजिलाधिकारी के न्यायालय से करवायी गयी थी। दोनों नम्बरान में पत्थरगढ़ी दिनांक 28.08.2019 व 30.07.2020 को हो चुकी है। उसके गॉव के ही रामजस पुत्र बेनी प्रसाद व उनके लड़के नीलू, दिलीप व रामसहाय पुत्रगण रामजस ने ट्रैक्टर से जोतकर 58 नम्बर के सरकारी पत्थर उखाड़ दिए। पत्थर उखाड़कर इन लोगों ने परिवादी का खेत अपने खेत में मिला लिया और परिवादी के खेत में धान की रोपाई भी कर दी। धारा 202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराए गए साक्षी लोकनाथ व बैरागीलाल ने भी परिवादी के अभिकथनों का समर्थन किए हैं।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों के

परिशीलन से प्रथम दृष्टया विपक्षीगण रामजस, नीलू, दिलीप व रामसहाय के द्वारा लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने द्वारा रिष्टि का अपराध किया जाना प्रतीत होता है जिसके संबंध में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 434 में दण्ड प्रावधानित है। विपक्षीगण को इस धारा के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः विपक्षीगण उक्त धारा में तलब किए जाने योग्य हैं।

:— आदेश —:

अभियुक्तगण रामजस, नीलू, दिलीप व रामसहाय को धारा 434 भा0दं0सं0 के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी हो। परिवादी पक्ष विधि अनुसार पैरवी करे एवं साक्षियों की सूची दाखिल करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 18.02.2021 को पेश हो।

(सुमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ,चित्रकूट।
जे0ओ0 कोड — यू0पी0 2315